	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 25, सोमवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 16, 2019 *Agrahayana 25, Monday, Saka 1941–December 16, 2019*	

भाग-4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, December 16, 2019

No. F.4(5)Vidhi/2/2019.- The following Ordinance made and promulgated by the Governor of the State of Rajasthan on the 16th day of December, 2019 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019

(Ordinance No. 3 of 2019)

(Made and promulgated by the Governor on the 16th day of December, 2019)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Whereas the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Seventieth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 19-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 19-A of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961),-

(i) for the existing heading " Kisan Kalyan Kosh" the heading "Krishak Kalyan Kosh" shall be substituted;

(ii) in sub-sections (1) and (2), for the existing expression "Kisan Kalyan Kosh" wherever occurring, the expression "Krishak Kalyan Kosh" shall be substituted;

(iii) in sub-section (2) for the existing punctutation mark "." occurring at the end of clause (j), the punctuation mark ";" shall be substituted and after the clause (j) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(k) to promote any other activities connected with the farmers' welfare with the prior approval of the Government." ; and

(iv) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) The Board may raise fund from any other sources with the prior approval of the Government.".

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसंबर 16, 2019

संख्या प.4(5)विधि/2/2019.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) ऑर्डिनेन्स, 2019 (ऑर्डिनेन्स नं. 3 ऑफ 2019)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्याaदेश, 2019

(2019 का अध्यादेश संख्यांक 3)

(राज्यपाल द्वारा 16 दिसंबर, 2019 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यत:, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अत: अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 19क का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 19क में,-

(i) विद्यमान शीर्षक "किसान कल्याण कोष" के स्थान पर शीर्षक "कृषक कल्याण कोष" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) उप-धारा (1) और (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसान कल्याण कोष", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "कृषक कल्याण कोष" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (2) में खण्ड (ञ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ट) सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से संसक्त किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।"; और

(iv) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) बोर्ड, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किन्हीं अन्य स्रोतों से निधि जुटा सकेगा।"।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।